उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–6
संख्या-- 274 / XXVII(6) / 2011
देहरादूनः दिनाँकः 18 जुलाई, 2011

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमालवी, 1985 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के जिला लेखा परीक्षा अधिकारी / लेखा परीक्षा अधिकारियों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची वित्त अनुभाग–6 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–37 / XXVII(6) / 2009 दिनांक **30–10–2009** के द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित अधिकारियों के मध्य परिचालित करते हुए आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी।

2– उक्त सन्दर्भित कार्यालय–ज्ञाप के क्रम मे प्राप्त आपत्तियों का सार एवं उन पर लिया गया निर्णय निम्नवत् है :–

1. प्रोन्नति श्रेणी के श्री आदित्य नारायण मिश्रा द्वारा वर्ष 2002–03 से पदोन्नति का लाभ देते हुए ज्येष्ठता सूची में क्रमांक–1 पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

   सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति की तिथि से होता है। अतः श्री मिश्र की ज्येष्ठता जिला सम्परीक्षा अधिकारी के पद पर उनकी पदोन्नति के दिनांक से निर्धारित की जाती है।

2. श्री भैरव दत्त तिवारी एवं श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम–17 एवं 22 का उल्लेख करते हुये तदनुसार ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया है।

   नियमावली के नियम–17 में उल्लेख है कि किसी वर्ष नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त सूची बनायी जायेगी जिसमें पहला नाम पदोन्नत व्यक्ति का होगा तथा नियम–22 में उल्लेख है कि किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से विनिर्दिष्ट की जाय, का प्राविधान है।

   उल्लेखनीय है कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों का चयन एक ही वर्ष में सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से नहीं किया गया है। अतः चक्रानुक्रम किया जाना सम्भव नहीं है। ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति की तिथि से निर्धारित की गयी है।

3– चयन वर्ष के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना है कि सीधी भर्ती मे अधिकारी का बैच जिस वर्ष विज्ञापन निकाला होगा, परीक्षा हुई हो, उस वर्ष का नहीं होता है बल्कि उस वर्ष का होता है जिस वर्ष आयोग की संस्तुति शासन को प्राप्त हुयी हो। सीधी भर्ती से नियुक्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों (संलग्नक के क्रमांक–1, 2 व 3) की मौलिक नियुक्ति दिनांक 18.07.2005 है। अतः इसका चयन वर्ष 2005–2006 होगा। इसी प्रकार जिला लेखा

परीक्षा अधिकारी श्री रजत मेहरा एवं श्री राहुल कुमार झा का चयन वर्ष 2009–2010 होगा, चूँकि उनकी नियुक्ति सितम्बर एवं अक्टूबर, 2009 को हुई है।

4– दिनांक 29.03.2011 को जिला सम्परीक्षा अधिकारी के पद पर प्रोन्नत श्री नवीन चन्द्र पाण्डे का नाम भी ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये उत्तराखण्ड स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग में मौलिक रूप से नियुक्ति जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची संलग्न सूची के अनुसार एत्तद्द्वारा अन्तिम रूप से प्रख्यापित की जाती है।

संलग्न–यथोक्त।

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

संख्या 274(1)/ **XXVII(6)/2011, तद्‌दिनॉक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाए, उत्तराखण्ड।
3– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
4– संलग्न सूची में इंगित समस्त जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

कार्यालय ज्ञाप संख्या– 274 /XXVII(6)/2011 दिनांक
का संलग्नक।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची।

क्र. सं.	नाम	शैक्षिक योग्यता	जन्मतिथि	वर्तमान पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि।	अभ्युक्ति
1.	श्री तरूण पाण्डे	एम0 कॉम /एम.बी.ए. /बी0एड0	09.03.1978	18.07.2005 (सीधी भर्ती)	सामान्य
2.	श्री विजय प्रताप सिंह	बी0कॉम0	05.01.1978	18.07.2005 (सीधी भर्ती)	सामान्य
3.	श्री रघुराज सिंह	एम0कॉम0/ बी0एड0	14.11.1968	18.07.2005 (सीधी भर्ती)	अनुसूचित जाति
4.	श्री आदित्य नारायण मिश्र	बी.ए./ बी.एड.	05.09.1952	19.06.2007 (प्रोन्नति)	सामान्य
5.	श्री गोविन्द सिंह नेगी	बी0ए0	08.08.1955	19.06.2007 (प्रोन्नति)	सामान्य
6.	श्री भैरव दत्त तिवारी	एम0ए0	04.11.1955	19.06.2007 (प्रोन्नति)	सामान्य
7.	श्री राहुल कुमार झा	बी0कॉम0	15.03.1973	22.09.2009 (सीधी भर्ती)	सामान्य
8.	श्री रजत मेहरा	बी0कॉम0	12.06.1979	10.08.2009 (सीधी भर्ती)	सामान्य
9.	श्री नवीन चन्द्र पाण्डेय	बी0ए0	02.06.1952	29.03.2011 (प्रोन्नति)	सामान्य

(राधा रतूड़ी)
सचिव।